प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 08.07.17 में पेश। राज्य द्वारा एडीपीओ। अभियुक्तगण सहित अधिवक्ता श्री सागरसिंह कंसाना। फरियादी मुकेश स्वयं उपस्थित। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं पहचान पत्र की प्रति सहित प्रस्तुत किया गया। फरियादी की पहचान श्री एम0पी0एस राणा एवं अभियुक्तगण की पहचान अधिवक्ता श्री सागरसिंह कंसाना ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मध्र रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादिव० की धारा 325 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमित से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 325 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति लाठी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागर भेजा जावे।

सही / सही / सही / सही / सही / सही / सिंदस्य सदस्य पीठासीन अधिकारी